

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 484 / गोपनीय / 2017
दो-२-१/२०१७ (भाग-ए)

जबलपुर, दिनांक 21 मार्च, 2017

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-१-२-९०-इक्वीस-ब(एक), दिनांक २६-१०-९५, अधिसूचना क्रमांक फा०-१-२-९०-इक्वीस-ब (एक), दिनांक १९-२-९७ एवं क्रमांक १-२-९०-इक्वीस-अ(एक), दिनांक ७-५-९९, क्रमांक फा०१-२-९०/२१-ब (एक), दिनांक ४-५-२००७ तथा अधिसूचना क्रमांक फा० क्र.१-२-९०-२१/ब(एक)१५११/२०१६, दिनांक १६-०५-२०१६ द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, १९८९ (१९८९ की संख्या ३३) की धारा १४ के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय/अनन्य विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की संख्या २) की धारा ९ की उपधारा (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (२) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (५) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	सत्रखण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री रमा शंकर शर्मा	इंदौर	दमोह	दमोह	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री भाऊराव पाटिल के स्थान पर।	दमोह

टिप्पणी :—

- आदेश क्रमांक 424/गोपनीय/2017, दिनांक 08 मार्च, 2017, जहां तक इसका संबंध श्रीमती सविता दुबे, सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल का, भोपाल से दमोह, स्थानान्तरण से है, एतद द्वारा निरस्त किया जाता है। वे अपने वर्तमान पद पर एक वर्ष तक कार्य करती रहेंगी। उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त अवधि में विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, भोपाल के पद पर पदस्थापना हेतु दावा प्रस्तुत नहीं करेंगी।

क्रमांक 485 / गोपनीय / 2017
दो-२-१/२०१७ (भाग-बी)

जबलपुर, दिनांक 21 मार्च, 2017

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्रीमती वर्षा शर्मा	बासोदा	इंदौर	इंदौर	पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
2.	श्रीमती वंदना जैन	विदिशा	इटारसी	होशंगाबाद	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में।
3.	कुमारी सुमन श्रीवास्तव	बैतूल	खुरझ	सागर	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अनिल कुमार अग्रवाल के स्थान पर।
4.	श्री शिवकांत पाण्डे	सतना	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से कुमारी सरिता वाधवानी के स्थान पर।
5.	श्रीमती आशिता श्रीवास्तव	टीकमगढ़	इंदौर	इंदौर	सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि उनकी इंदौर में पदस्थापना 01 वर्ष की अवधि के लिये की गई है, उक्त अवधि पश्चात् उनके स्थानान्तरण पर पुनः विचार किया जावेगा।

टिप्पणी :—

- आदेश क्रमांक 439/गोपनीय/2017, दिनांक 09 मार्च, 2017, जहां तक इसका संबंध श्री कैलाश चन्द्र यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुसनेर, जिला शाजापुर का, सुसनेर से सागर स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। वे अपने वर्तमान पद पर निरंतर कार्य करते रहेंगे।
- आदेश क्रमांक 439/गोपनीय/2017, दिनांक 09 मार्च, 2017, जहां तक इसका संबंध श्रीमती वर्षा शर्मा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बासोदा जिला विदिशा का, बासोदा से मुरैना स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
- आदेश क्रमांक 439/गोपनीय/2017, दिनांक 09 मार्च, 2017, जहां तक इसका संबंध श्रीमती वंदना जैन, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा का, विदिशा से नरसिंहपुर स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

4. आदेश क्रमांक 439/गोपनीय/2017, दिनांक 09 मार्च, 2017, जहां तक इसका संबंध कुमारी सुमन श्रीवास्तव, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल का, बैतूल से शहडोल स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
5. आदेश क्रमांक 439/गोपनीय/2017, दिनांक 09 मार्च, 2017, जहां तक इसका संबंध श्री शिवकांत पाण्डेय, सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना का, सतना से इटारसी जिला होशंगाबाद स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
6. आदेश क्रमांक 439/गोपनीय/2017, दिनांक 09 मार्च, 2017, जहां तक इसका संबंध श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ का, टीकमगढ़ से बासोदा जिला विदिशा स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

२०३११८
२०३११८
(भनोहर ममतानी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 486 / गोपनीय / 2017
दो-२-१ / 2017 (भाग-ए)

जबलपुर, दिनांक 21 मार्च, 2017

प्रतिलिपि:-

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004, को सूचनार्थ अग्रेषित।
3. महालेखाकार,(लेखा/हकदारी) प्रथम (टी०एम० अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।
4. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
5.
 1. श्री रमा शंकर शर्मा, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर,
 2. श्रीमती वर्षा शर्मा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बासोदा जिला विदिशा
 3. श्रीमती वंदना जैन, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा
 4. कुमारी सुमन श्रीवास्तव, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल
 5. श्री शिवकांत पाण्डेय, सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना
 6. श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपें कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 27.03.2017 अथवा उसके पूर्व अवश्यमेव कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।
 7. श्रीमती सविता दुबे, सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल,
 8. श्री कैलाश चन्द्र यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुसनेर, जिला शाजापुर, को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित।
6. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर/ विदिशा/ बैतूल/ सतना/ टीकमगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को उनके वर्तमान पद का कार्यभार इस प्रकार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 27.03.2017 अथवा उसके पूर्व अवश्यमेव ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।
7. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह/ होशंगाबाद/ सागर/ नरसिंहपुर/ भोपाल/ शाजापुर/ मुरैना/ शहडोल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

- 8 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, _____ को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 9 रजिस्ट्रार (आई०टी०), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :—
- (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर/ जिला जज (निरीक्षण), जे०ई०-१, जजेस एनकलेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्डौर - 452001/ जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म०प्र०) को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्डौर/इन्डौर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (5) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (6) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary)/ (जिला स्थापना)/ (आई०एल)/ (न्यायिक-२)/ (न्यायिक-१)/ (सतर्कता)/ रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (7) प्रभारी संचालक/अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 10 रजिस्ट्रार (ई०)/लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-१)/ (न्यायिक-२), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 11 रजिस्ट्रार-कम-माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 12 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 13 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्डौर/इन्डौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 14 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 15 डिप्टी रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 16 अनुभाग अधिकारी, पेन्शन /बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।



मनोहर ममतानी
रजिस्ट्रार जनरल